BEFORE THE BOARD OF REVENUE, GWALIOR,

DISTRICT GWALIOR (M.P.)

REVISION NO. /2017

PBR/निगरानी/गुना/भू-रा/2017/2333

1. Sher Singh Bhadoriya, Aged 52 years, S/o Shri Komal Singh Bhadoriya, Occupation: Retired Army Personnel, Indian Army, R/o Nanakhedi, Guna, District Guna (M.P.)
2. Rambaran Singh Bhadoriya, S/o Shri Komal Singh Bhadoriya, Aged 48 years, Occupation: Retired Army Personnel, Indian Army, R/o Nanakhedi, Guna, District Guna (M.P.)
3. Ahibaran Singh Bhadoriya, Aged 44 years, S/o Shri Komal Singh Bhadoriya, Occupation: Retired Army Personnel, Indian Army, R/o Nanakhedi, Guna, District Guna (M.P.)

....APPLICANTS

Versus

State of Madhya Pradesh through the Collector, District Guna (M.P.)

....RESPONDENT

REVISION UNDER SECTION 50 OF THE REVENUE BOOK CIRCULAR AGAINST THE ORDER DATED 5.5.2017 PASSED BY SHRI D.D. AGARWAL, ADDITIONAL COMMISSIONER, GWALIOR DIVISION, GWALIOR IN APPEAL NO.276/2015-2016.

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी/गुना/भू.रा./2017/2333

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5–9–2017	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 5–5–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष गया है कि इसी भूमि तथा इसी विषय–वस्तु के सम्बन्ध में अपर आयुक्त द्वारा पूर्व में निराकरण किया जा चुका है, इसलिए उसी विषय–वस्तु के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने में व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 11 पूर्व न्याय का सिद्धान्त पूर्णतः लागू होता है, अपील निरस्त की गई है, जिसमें प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी निरस्त की जाती है । **(मनोज गोयल)** अध्यक्ष	